FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

रणजीत सिंह बनाम कुलदीप कौर आदि आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 15 सन् 2024

जी.सी.एम.एस नम्बर 2024/348

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.11.2024	प्रार्थी रणजीत सिंह पुत्र भाग सिंह जाति बावरी निवासी खरलां हाल आबाद वार्ड नम्बर 10 खाजूवाला जिला बीकानेर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 1 एफ एफ के खाता संख्या 161/31 के मुरब्बा नम्बर 26 की 4.731 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।	
२५/02/२५	आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (क) CPC प्रस्तुत किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। ~~प्रार्थ~~ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (क) CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)